

बायफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउन्डेशन, उदयपुर

बायफ पशुधन विकास केन्द्र परियोजना पूर्ण रिपोर्ट

पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम

बायफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउन्डेशन

बायफ भवन, हिरण मंगरी, सेक्टर -14, उदयपुर. फोन / फेक्स—294.2640133

2014.2015

परियोजना का संक्षिप्त परिचय

1	परियोजना का नाम	:	पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम
2	संदर्भ नंबर	:	03-09-2004
3	परियोजना प्रकार	:	पशु पालन
4	परियोजना की अवधि	:	2005-06-12 (7 years)
5	रिपोर्ट प्रस्तुत करनेवाली संस्था	:	बायफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउन्डेशन / रिडमा
6	रिपोर्ट प्राप्त करनेवाली संस्था	:	मुख्य कार्यक्रम अधिकारी जिला परिषद, सिरोही
7	परियोजना का क्षेत्र	:	36 गांव आबुरोड, रेवदर व पीन्डवाडा पंचायत समिती के गांव
8	लाभार्थी संख्या	:	4500 पशुपालक परिवार, 1250 बी.पी.एल. पशुपालक परिवार
9	परियोजना की लागत	:	रु.23.76 लाख.
10	परियोजना का उद्देश्य	:	दुग्ध उत्पादन द्वारा पशुपालक की आय में वृद्धि करना
11	परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. कृत्रिम गर्भाधान 2 हरा चारा उत्पादन कार्यक्रम 3. टीका करण एंव कृमिनाशक दवाई देना 4. किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

बायफ संस्था की स्थापना वर्ष 24 अगस्त 1967 मे उरुली कांचन जिले पूने महाराष्ट्र मे स्वर्गीय डॉ.मणीभाई देसाई द्वारा की गई थी। वर्तमान मे बायफ संस्था भारत देश के 16 राज्यों मे ग्रामीण समुदाय की आजिवीका सृदृढ करने का कार्य पशु नस्ल सुधार, उधानिकी, जल ग्रहण, सामुदायिक चरागाह विकास, महिला विकास, बकरी विकास एंव कृषि उत्पाद विपणन द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य भौगोलिक द्रष्टि से देश का सब से बड़ा राज्य है। यहा के लोंगो का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बारिश की अनिच्छीतता चलते हर तीसरे वर्ष अकाल की परिस्थिती निर्माण होने से कृषि के साथ सहायक व्यवसाय के रूप मे पशुपालन का व्यवसाय आजीविका के लिये उभरकर आया है। वर्ष 1978 मे राज्य सरकार के कृषि एंव सहकारी मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह बड़लियास ने महाराष्ट्र मे सहकारीता का कार्य देखने हेतु भ्रमण किया था उस समय बायफ संस्था द्वारा महाराष्ट्र राज्य मे पशुपालन मे नस्ल सुधार से किसानो की आजिनीका निर्माण हेतु किया गया कार्य देखा। उन्होंने बायफ संस्था को राजस्थान मे काय्र करने हेतु आमंत्रित किया।

बायफ संस्था ने 1979 नवम्बर मे राजस्थान सरकार के आमंत्रण को स्वीकार करते हुये राजस्थान डेयरी कोओपरेटीव के सौजन्य से भीलवाडा व कोटा जिले मे 8 पशुनस्ल सुधार केन्द्र पारंभ किये। पशुनस्ल सुधार के अच्छे परिणाम को देखते हुये राज्य सरकार ने बायफ के कार्यक्रम को आई.आर.डी.पी./एस.जी.एस.वाय योजना अंतर्गत इस कार्यक्रम को चलाने हेतु अनुबन्ध किया। अभी बायफ संस्था द्वारा राजस्थान के 19 जिले मे किसानो की आय वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

- पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम
- जल ग्रहण कार्यक्रम
- जन जाति परिवारों मे उधानिकी परियोजना जनजाति विकास विभाग एंव नाबार्ड के वितीय सहयोग से
- चरागाह विकास काय्रक्रम
- बकरी विकास कार्यक्रम
- मरुभुमि विकास कार्यक्रम
- महिला विकास कार्यक्रम

सिरोही जिले में बायफ संस्था द्वारा जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद के वितीय सहयोग से 03 गोपाल केन्द्र संचालित किये जा रहे थे। जिसका परियोजना पूर्ण रिपोर्ट आपकी और पेशित की जा रही है।

परियोजना का नाम :—पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम

परियोजना में वितीय सहयोग संस्था का नामः— जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, सिरोही

परियोजना अवधि :— 1.08.2005 से 31.07.2012

➤ परियोजना में उल्लेखित गतिविधियाँ :-

- गाय / भैंसो मे कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार
- किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम
- हरा चारा उत्पादन कार्यक्रम
- टीका करण एंव कृमिनाशक दवाई कार्यक्रम
- बदियाकरण कार्यक्रम
- पशु प्रबंधन के लिये सलाहकारी

➤ गाय / भैंसो मे कृत्रिम गर्भाधान :-उक्त केन्द्रों द्वारा केन्द्र

मुख्यालय से 8 किलोमीटर के परीधि क्षेत्र में आनेवाले गाँवों में पशुपालकों को अपने गायों / भैंसों के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सेवा बायफ संस्था व जिला परिषद सिरोही के मध्य किये गये अनुबंध में निर्धारित तय की गई राशी लेकर घर पहुंच दी जाती है। कृत्रिम गर्भाधान किये गये पशुओं का तीन माह बाद गर्भ परीक्षण नि:शुल्क किया जाता है, एवं ग्याभन दर्शाये गये पशु व्याने पर वत्स उत्पादन रिपोर्ट ली जाती है। साथ में समय – समय पर किसानों को पशु प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया जाता है। गायों में नस्ल सुधार हेतु एच.एफ., जर्सी, थरपारकर तथा भैंसों में मुराह प्रजाति का वीर्य उपयोग में लिया जाता है।

➤ पशु नस्त सुधार कार्यक्रम



गणेश / चमना भील गांव—पांडुरी च 4549



ताराजी / जीवाजी गरासिया, गांव—मुच्छरला च 1090



समा चेला बागरी गांव—पांडुरी, च. 4544



वरसिंह श्रवण सिंह गुर्जर गांव—किवरली च 4443



पल्लि सैतानसिंह प्रेमसिंह राजपुत, गांव—आवली, च 1155



नारायणसिंह/जामतसिंह राजपुत, गांव—आवली, च

► हरा चारा उत्पादन कार्यक्रमः— इस के साथ सभी केन्द्रों पर प्रति वर्ष 25 चयनित बपी.एल. परिवारों में हरा चारा उत्पादन कार्यक्रम के लिये रिजका या बरसीम का बीज, खाद एंव प्रशिक्षण दिया जाता है व पशु से अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने हेतु हरा चारा का क्या महत्व है समझाया जाता है। अभी कत कुल 525 परिवारों को लाभान्वीत किया गया है।



पत्नी आणदाराम/सवाजी गरासिया गांव—आवली, च



नारायणसिंह/जामतसिंह राजपुत, गांव—आवली, च



सांखला/अन्जना मेघवाल, गांव—छापोल, च 3521



हंसबाई पत्नी भंवरसिंह राजपुत, गांव—डबानी, च 3468

► टीका करण एंव कृमिनाशक दवाई कार्यक्रमः— उन्नत नस्ल

के पशु से अपेक्षित दुग्ध उत्पादन लेने हेतु उसका सही रख रखाव यानी समय पर टीकाकरण एंव कृमिनाशक दवाई देना आवश्यक है। किसान उसका महत्व सतज्जे इस उद्देश्य से प्रति केन्द्र निर्देशन के तोर पर प्रति वर्ष प्रति केन्द्र चयनित बी.पी.एल. परिवारों के 50 पशुओं को सुगल्या रोग का टीकाकरण व वर्ष में 2 बार कृमिनाशक दवाई पिलाना। कुल 1050 पशुओं को इस कार्यक्रम से टीकाकरण एंव कृमिनाशक इवाई दी गई है।

► किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम :— उन्नत नस्ल के पशु से अपेक्षित दुग्ध उत्पादन लेने हेतु उसका सही रख रखाव करना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य की प्राप्ती हेतु प्रत्येक केन्द्र पर प्रति वर्ष 25 चयनित बपी.एल. परिवार के किसानों को 3 दिवसीय प्शु प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल 525 चयनित बपी.एल. परिवार के किसानों को लाभान्वीत किया गया है।

पशुधन विकास केन्द्र के बारे में जानकारी :- उक्त केन्द्रों की अवधि 7 वर्ष की रहती है। जिला परिषद से प्रति केन्द्र हेतु रथायी राशि 115000/- एवं संचालन राशि प्रथम वर्ष हेतु 96000/- प्रति वर्ष एक केन्द्र की राशि भुगतान की जाती है। एवं अन्य छ: वर्ष के लिये 5 प्रतिष्ठत वृद्धि दर से भुगतान किया जाता है। उक्त केन्द्रों रिडमा संरक्षा के कार्यकर्ता नियुक्त किये जाते हैं। उनके द्वारा केन्द्र मुख्यालय से 15 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में आनेवाले गांवों में पशुपालकों को अपने गायों/भेंसों के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सेवा बायफ संस्था व जिला परिषद

सिरोही के मध्य किये गये अनुबंध में निर्धारित तय की गई राशी लेकर घर पहुंच दी जाती है। कत्रिम गर्भाधान किये गये पशुओं का तीन माह बाद गर्भ परीक्षण निःशुल्क किया जाता है, एवं ग्याभन दर्शाये गये पशु व्याने पर वत्स उत्पादन रिपोर्ट ली जाती है। साथ में समय – समय पर किसानों को पशु प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया जाता है। गायों में नस्ल सुधार हेतु एच.एफ., जर्सी एवं तथा भैंसों में मुरा प्रजाति का वीर्य उपयोग में लिया जाता है।

परियोजना का क्षेत्र :—केन्द्रो का कार्य क्षेत्र सिरोही जिले निम्न पंचायत समिति के गांव थे जिसकी जानकारी निम्न टेबल में दी गई है।

क्रमांक	केन्द्र का नाम	केन्द्र प्रभारी का नाम	केन्द्र का पता	कार्यक्षेत्र के गांव
1	अजारी	श्री दलपत भाटी	बायफ पशुधन विकास केन्द्र, अजारी मु.पो. अजारी तहसील— पीन्डवाडा जिला—सिरोही	अजारी, वसाव, घनावा का लेशनगर, फूटेला, चारन फली, बसन्तगढ़, चावरली, जानापुर, खूजारा
2	किवरली	श्री मेहुलकुमार रावल	बायफ पशुधन विकास केन्द्र, किवरली मु.पो. किवरली तहसील— आबूरोडा जिला—सिरोही	डबानी, थाल, डाग, घानपुर , सपोट, रसावा, सेलवाडा, , नाडोल, करोटी, राजगढ़, घारली, लीलोडावास
3	डबानी	श्री हनीफ मोहमद रमजानी	बायफ पशुधन विकास केन्द्र, डबानी मु.पो. डबानी तहसील— रेवदर जिला—सिरोही	नडूनी, करोली, आमथला, भूजेलावाडा, देलदार, भार जा, देरना, वोर, मोरथला

परियोजना के दौरान संपादित गतिविधियों की प्रगति :—केन्द्रों की स्थापना दिनांक 01.08.2005 से 31.07.2012। वर्षवार प्रगति निम्न प्रकार है ।

क्रमांक	वर्ष	सफल गर्भाधान लक्ष्य	कृत्रिम गर्भाधान उपलब्धी	सफल गर्भाधान उपलब्धी	वत्स उत्पादन नर	वत्स उत्पादन मादा
1	01.08.2005 से 31.07.2006	225	1336(332)	418 (128)	0	0
2	01.08.2006 से 31.07.2007	300	1547(500)	672 (216)	250 (71)	221(62)
3	01.08.2007 से 31.07.2008	375	1839(608)	814 (301)	270 (89)	246(93)
4	01.08.2008 से 31.07.2009	465	1859(542)	1032 (295)	406 (142)	405(144)
5	01.08.2009 से 31.07.2010	570	2401(741)	1337 (477)	413 (135)	389(118)
6	01.08.2010 से 31.07.2011	705	2236(616)	1370 (414)	603 (184)	553(176)
7	01.08.2011 से 31.07.2012	840	2311(591)	1255 (325)	516 (148)	525(153)
	कुल	3480	13529(3930)	6898 (2156)	2480 (772)	2358(752)
			प्रति ए.आय. कोस्ट रु.176.00	प्रति सुफल गर्भाधान कोस्ट रु.344.00	प्रति वत्स कोस्ट रु.491.00	प्रति मादा कोस्ट रु. 1008.00

परियोजना से लाभान्वित परिवारः—इस कार्यक्रम के द्वारा कुल 5411 परिवारों को लाभान्वीत किया गया है। केन्द्र द्वारा पैदा हुये कुल 2358 मादा वत्स प्रथम 5 वर्ष में पैदा हुये मादा वत्स में से 630 मादा दुग्ध उत्पादन में आ गई है। जिस के द्वारा प्रतिदिन 5040 लिटर दुग्ध प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन 126000 रु. की आय परिवारों में हो रही है। एंव 900 मादा ऐसेट के रूप में किसानों के पास है जिस की एवरेज 4000 प्रति मादा दर से 3600000 (छत्तीस लाख रु.) संपत्ति किसान परिवारों में तैयार हुई है जो भविष्य में करीब जिले के 5400 परिवारों में स्थायी आय का साधन बनेगा।

परियोजना का स्थायीत्वः— किसानों के यहा पैदा हुये उन्नत नस्ल के ग्याभिन करने हेतु नस्ल सुधार कार्य कैसे चालू रखा जायेगा। इस के लिये केन्द्र पर कार्य करनवाले कर्मचारी स्वेच्छा से स्थायी नौकरी से त्याग पत्र देकर उस केन्द्र को स्वनिर्भर केन्द्र के रूपमें संचालित कर रहे हैं। परियोजना पूर्ण होने पर संस्था द्वारा ए.आय. कार्यकर्ता को तरल नत्रजन एंव सीमेन की आपूर्ति निर्धारीत दर पर सशुल्क उपलब्ध करायी जारही है। जिस से ए.आय. कार्यकर्ता को स्थायी रोजगार प्राप्त हो रहा है व किसानों को अपने पशुओं को अच्छी गुणवत्ता वाले वीर्य से ग्याभिन कराने की सुविधा धर पहुच उपलब्ध होगी।

हम जिला परिषद सिरोही का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमारी संस्था को वित्तीय सहयोग प्रदान करके किसान भाइयों की आजीविका उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया।

वितीय विवरण

क्रमांक	वर्ष	आंवटित राशी रु.प्रति केन्द्र	कुल राशी रु.	राशी समायोजना
1	संस्थापन राशी	115000	345000	दि.10.06.06 यू.सी.नं.102
2	बड़ीजो केस्ट्रेटर एंव प्रथम वर्ष व द्वितीय किश्त	103000	309000	दि.16.08. 2006 यू.सी.नं. 101
3	द्वितीय वर्ष की प्रथम किश्त	40652.50	121957	दि.01.01.07 यू.सी.नं.103
4	द्वितीय वर्ष की द्वितीय किश्त	40625.50	121957	दि.11.10.07 यू.सी.नं.105
5	तृतीय वर्ष की प्रथम किश्त	43195	129585	दि.31.12.07 यू.सी.नं.106
6	तृतीय वर्ष की द्वितीय किश्त	43195	129585	दि.31.07.08 यू.सी.नं.107
7	चतुर्थ वर्ष की प्रथम किश्त	45855	137565	दि.31.01. 2009 यू.सी. नं.108
8	चतुर्थ वर्ष की द्वितीय किश्त	45855	137565	दि.31.07. 2009 यू.सी. नं.109
9	पंचम वर्ष की प्रथम किश्त	40652	121957	दि.31.01. 2010 यू.सी. नं.110
10	पंचम वर्ष की प्रथम किश्त की एरियर राशी	23958	23958	दि.31.03. 2010 यू.सी. नं.111
11	पंचम वर्ष की द्वितीय किश्त	48647	145942	दि.31.07. 2010 यू.सी. नं.113
12	छहे वर्ष की प्रथम किश्त	51580	154740	दि.31.01.

				2011 यू.सी. नं.114
13	छह्वे वर्ष की द्वितीय किश्त	51580	154740	दि.31.07. 2011 यू.सी. नं.115
14	सातवे वर्ष की प्रथम किश्त	51759	171477	दि.31.01. 2012 यू.सी. नं.116
15	सातवे वर्ष की द्वितीय किश्त	51759	171477	दि.10.06. 2013 यू.सी. नं.116
	कुल	498035	2376505	